राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांकः 28/8/2019

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान,
जयपुर।

विषयः– बी.एड. एवं डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण बाबत।

संदर्भः– ई–मेल दिनांक 27.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई–मेल के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि बी.एड. एवं डी.एल.एड. (शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण इस विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2018 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही राज्य एवं जिला स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।

बी.एड. एवं डी.एल.एड. (शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण दिनांक 15.09.2019 तक आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. उपायुक्त (शालादर्पण) समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. समसा, जयपुर।
7. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं, बीकानेर।
8. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
9. समस्त, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
10. सहायक निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ समसा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(एस. एन. यादव)
अनुसंधान अधिकारी

मुख्य भवन, कमरा नं. 1208, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141–2227888 **e-mail ID-dseepjpr@gmail.com**

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 7(10) प्राशि/आयो/2018 जयपुर, दिनांकः 10.8.2018

—:: आदेश ::—

बी.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर निर्णय करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता हैः—

राज्य स्तरीय समिति

1.	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर	अध्यक्ष
2.	उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सदस्य
3.	उपायुक्त द्वितीय, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर	सदस्य
4.	श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर	सदस्य
5.	अनुसंधान अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सदस्य
6.	डॉ. देवेन्द्र जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण, जयपुर	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति

1.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
3.	प्रधानाचार्य, डाईट, गोनेर	सदस्य
4.	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/अति.ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम	सदस्य सचिव

परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. बी.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाकर ऑनलाईन आवंटन माड्यूल पर जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों पर निम्न वरीयता अनुसार कार्यक्रम अधिकारी शाला दर्पण जयपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से संशोधित विद्यालय आवंटित किया जावेगा। परिवेदनाओं पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावेः—
   i. पारस्परिक आधार पर।
   ii. दिव्यांग।
   iii. गर्भवती/03 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिलाऐं।
   iv. समस्त महिलाऐं, जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है।
   v. समस्त पुरूष प्रशिक्षार्थी, जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है।
   vi. विशेष विद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवंटित किये जावें।

vii. उर्दू/पंजाबी/सिंधी/गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थियों को जिन विद्यालयों में संबंधित विषय संचालित है, वे विद्यालय आवंटित किये जावें।

2. परिवेदनाओं के आधार पर इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाईन आवंटन मॉड्यूल पर तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.,समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर द्वारा बी.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने के पश्चात जिले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों के अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों वाले विद्यालयों का पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित करेगें।

3. राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त परिवेदनों का राज्य एवं जिला स्तर गठित समिति के अनुमोदन पश्चात उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों की परिवेदनाओं का केवल एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में ऑनलाईन मॉड्यूल के माध्यम से निस्तारण किया जावें।

4. प्राप्त समस्त परिवेदनाओं का निस्तारण दिनांक 25.09.2018 तक आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चत करें।"

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कम विशिष्ठ शासन सचिव।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त, द्वितीय, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
10. कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण पोर्टल को प्रेषित कर लेख है कि ई–मेल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को आदेश प्रसारित करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी